

9602/4y 65,500/-

5000Rs.

11
716



195310



विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रु0 6,64,624/-
बाजार मूल्य : रु0 3,89,400/-
स्टाम्प शुल्क : रु0 66,500/-
परगना : लखनऊ

यह विक्रय विलेख सन्तोष कुमार पुत्र बैजनाथ निवासी-
ग्राम-अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ

सन्तोष कुमार
सन्तोष

5000Rs.



195366

- 2 -

जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् राजू पुत्र रामधनी वर्तमान निवासी-254, चन्द्रलोक, अलीगंज, लखनऊ एवं स्थाई निवासी-ग्राम -मिर्जापुर मिटारी, पोस्ट-नौगाँव, जिला- फतेहपुर जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा नं० 742/4, कुल रकबा 0.354 हेक्टेअर, स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील य जिला,

सत्यमेव

निर्माण २५२



195365

- 3 -

लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षट्वार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 527 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अमिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि

सन्तोष

लखनऊ

5000Rs.



104568



- 4 -

उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण

सन्तोष

विष्णु शंकर

5000Rs.



194569

- 5 -

करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु० 6,64,624/- (छः लाख चौसठ हजार छः सौ चौबीस रुपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख

संतोष

12/11/2004

5000Rs.



194570

- 6 -

के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मीके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र

सहाय

मि. अ. सिंह



- 7 -

स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण

स्वीकृत

सिद्धेश्वर

5000Rs.



195352

- 8 -

इत्यादि को यह हक हीगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय
हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत
वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व
खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज
राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई

संलग्न

कि. १९५३



195367

- 9 -

आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित

सत्यापित



5000Rs.



194559

- 10 -

सरकिल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.354 हेक्टेअर की मालियत रू0 3,89,400/- होती है। तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 66,500/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में

सत्याप

दिनांक

5000Rs.



195133

- 11 -

कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

सुल्तानपुर



5000Rs.



195132

- 12 -

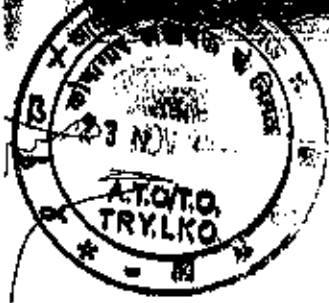
परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा नं० 742/4, कुल रकबा 0.354 हेक्टेअर, स्थित ग्राम
अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला, लखनऊ, जिसकी चौहद्दी
निम्न है।

सतोष

निलेश

5000Rs.



195121

- 13 -

खसरा नं० 742/4, रकबा 0.354 हेक्टेअर

पूरुब : खसरा संख्या- 743 बादहू 759
पश्चिम : खसरा संख्या- 794, 806
उत्तर : खसरा संख्या- 743 बादहू 736, 737, 740
दक्षिण : खसरा संख्या- 744

संक्षेप

दिनांक 21/12



- 14 -

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य विक्रेता को रु0 6,64,624/- (छः लाख चौसठ हजार छः सौ चौबीस रुपया) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मन

२२/१०/२०२२

500Rs.



- 15 -

की दशा में लिख दिया ताकि सनद रहे
और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

लखनऊ

दिनांक: 23.11.2004

गवाह

Stein S. R. S.
Lalbagh UKO.



विक्रेता



2.

बिजु कुमार देव
मजदूर
लखनऊ

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

मसाविदकर्ता

बेकट रमन सिंह
एडवोकेट

2152

२१-नोव

Read

2025

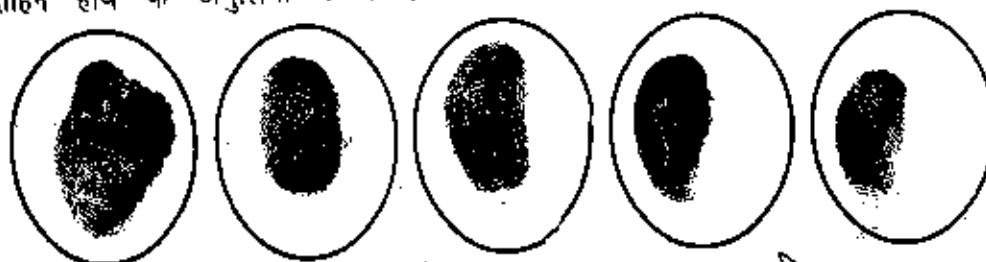
रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन
हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : रामेश्वर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



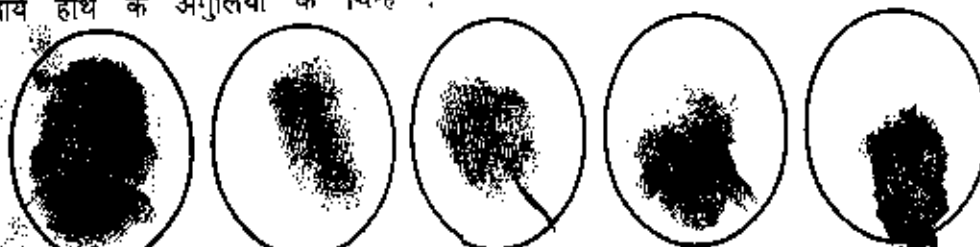
दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : रामेश्वर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



विक्रेता/क्रता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 23/11/2004 को

यही सं. 1 जिल्द सं. 4677

पृष्ठ सं. 1 से 34 पर क्रमांक 9602

रजिस्ट्रीकृत किया गया।


उप निबन्धक (दिल्ली)
लखनऊ

